न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर 0ए0एस)

मु0 संख्या :– 6/2014

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री रेवन्तसिंह खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	**बनाम**	1. श्री अचलाराम पुत्र भैराराम चौधरी (जाखड) चौकीदार निवासी टी.एम.सी., आई.जी.एन.पी. मोहनगढ मूल निवासी उम्मेदानी, जाखडों की ढाणी, गांव पोस्ट बायतू चिमनजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर (राज.) हाल निवासी आई.जी.एन.पी. राजकीय आवास पी. डी. आर.डी. 40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर (राज.) 2. एफ.बी.ओ. विक्रेता मैसर्स गणेश किराणा स्टोर, पी.डी.आर.डी.40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (II) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री चनणाराम चौधरी ।

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः 21.08.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (II) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.05.2014 को 05:10 पीएम पर मैसर्स गणेश किराणा स्टोर, पी.डी.आर.डी.40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स गणेश किराणा स्टोर, पी.डी.आर. डी.40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर (राज.) दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री अचलाराम पुत्र भैराराम चौधरी कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर होना नही बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में एक लोहे के पीपे में जगभग 06 किलो सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) पडी थी मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना जांचर्थ 800 ग्राम सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) नमूने वास्ते लिया जिस के पेटे 35 रुपये देकर एफबीओ से कीमतन खरीद रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये तथा उपस्थित गवाहन श्री इन्द्रजीत एवं श्री चेलाराम के हस्ताक्षर करवाये। तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात खरीद सुदा सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) खादय पदार्थ को तोलकर साफ सुखी कॉच की बोतलो में 200 ग्राम प्रति नमूना के हिसाबसे सफेद शक्कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

(Plantation White Sugar) अलग-अलग डाली एवं चारो बोतलों पर अलग-अलग ढक्कन लगाकर ऐयर टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाई और लेबलो पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन-383 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-902 सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) खादय पदार्थ लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2014/388-389 दिनांक 20.06.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./266/Act/2014/285 दिनांक 13.06.2014 अनुसार उक्त नमूना अवमानक (सबस्टैण्डड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2014/स्वी./एन-383/481 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री अचलाराम पुत्र भैराराम चौधरी (जाखड) चौकीदार निवासी टी.एम.सी., आई.जी.एन.पी. मोहनगढ मूल निवासी उम्मेदानी, जाखडों की ढाणी, गांव पोस्ट बायतू चिमनजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर (राज.) हाल निवासी आई.जी.एन.पी. राजकीय आवास पी.डी. आर.डी. 40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर 2. एफ.बी.ओ. विक्रेता मैसर्स गणेश किराणा स्टोर, पी.डी.आर.डी.40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर ने अवमानक (सबस्टैण्डड) सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) खादय पदार्थ का विकय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पिता श्री भैराराम द्वारा दिनांक 30.09.2014 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कम में जबाब पेश कर निवेदन किया है कि मेरा पुत्र बायतु चिमनी जी में कक्षा 10 में अध्ययन करता है जो वहा ही रहता है। मेरा पुत्र अचलाराम नाबालिक होने से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है। जिसका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र संलग्न है। भविष्य में हमारे द्वारा पूर्ण सावधानी रखी जावेगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृति नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

3. उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./266/Act/2014/285 दिनांक 13.06.2014 के अनुसार सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) खादय पदार्थ का उक्त नमूना अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर के सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) खादय पदार्थ का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री अचलाराम जो मैसर्स गणेश किराणा स्टोर, पी.डी.आर.डी.40 ग्राम पंचायत बाहला जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु सफेद शक्कर (Plantation White Sugar) खादय पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिलामजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner